

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

सं.-एफ.ई.5(35)2016/डी.डी.ए./551

दिनांक:- 22-09-2016

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 23/2016

- विषय:- 1. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन-पेंशन/ पेंशन संराशीकरण उपदान / परिवार पेंशन / विकलांगता पेंशन/ अनुग्रह एकमुश्त क्षतिपूर्ति आदि के विनिमय के प्रावधानों का परिशोधन ।
2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन -2016 से पूर्व के पेंशन भोगियों/ / परिवार पेंशन भोगियों आदि की पेंशन का परिशोधन ।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, दि0वि0प्रा0 के कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार परिशोधित पेंशन और बकाया अनंतिम रूप से कार्यान्वित करने /जारी करने के लिए उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्यालय जापन 12/8/2016 द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा अग्रेषित पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय जापन संख्या एफ.38/37/2016 पी एंड पी डब्ल्यू (ए)-(i) दिनांक 4 अगस्त, 2016 और कार्यालय जापन संख्या एफ.38/37/2016 पी एंड पी डब्ल्यू (ए)-(ii) दिनांक 4 अगस्त, 2016 को अनुमोदन प्रदान करते हैं ।

उपर्युक्त कार्यालय जापन, दि0वि0प्रा0 में समान रूप से कार्यान्वित करने के लिए संलग्न है । इसे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से भी प्राप्त किया जा सकता है । सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/पेंशन शाखा से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी कार्यालय जापनों के कार्यान्वयन में एकरूपता का पालन करें ।

संलग्नक:- उपर्युक्तानुसार

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. माननीय उपराज्यपाल / उपाध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी,
2. वित्त सदस्य / अभियन्ता सदस्य / मुख्य सतकर्ता अधिकारी / प्रधान आयुक्त के निजी सचिव,
3. सभी आयुक्त / सीसीएस / मुख्य अभियन्ता / सीए / विभागाध्यक्ष,
4. वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक (भूमि लागत)/निदेशक (एम एंड पी) /निदेशक (वित्त),

5. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी / उप वित्त सलाहकार (आवास)-1 एवं 2,
6. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी / वरिष्ठ लेखा अधिकारी (खेल),
7. गार्ड फाईल,
8. सूचना पत्र ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)